फर्द अहकाम

गणपत बनाम जगदीश

न्यायालय

केस संख्या

विशेष विवरण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	30/10/23	प्र॰क्र॰ 4401 पुनः पेश हुई। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर घोषित किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर की जा कर दाखिल दफ्तर हो। sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) चौमूँ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्री रतन कोर (R.A.S.)

वाद संख्या :–60/2021

गणपत बनाम जगदीश वगै0

(वाद–पत्र)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

आदेश

दिनांक:–30.10.2023

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त उनवानी प्रकरण में वर्णित कृषि भूमियां खाता संख्या 49 के आराजी खसरा नम्बरान् 135, 136, 137, 164, 166, 168, 169, 242/1860, 243/1861 कुल किता 9 का कुल रकबा 1.63 है0 खाता संख्या 315 के आराजी खसरा नम्बर 175 कुल किता 1 का रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर को को वादी द्वारा विवादित बताकर वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा उक्त विवादित कृषि भूमि को प्रतिवादी एवं वादी की शामलीती कृषि भूमि होने के अभिवचन वाद पत्र में किये गये है। तथा सहखातेदारी की भूमि बाबत् सहखातेदारो के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा वाद पत्र में किये गये अभिवचन से या राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सहखातेदार के विरूद्ध केवल स्थायी निषेधाज्ञा का दावा कानूनन विधि द्वारा पोषणीय नही है। इस कारण वादी का वाद विधि द्वारा पोषणीय नही होने से मान्य न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रर्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त Jugal kishor v/s kishan gopal other 2022 (2)DNJ(REV.)1454, Tamu(Smt)&ors v/s kalyan & ors2022(2)RRT 807 पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:43 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त भूमि ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित होना एवं उक्त भूमि मात्र राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी के नाम से संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

होने से वादी द्वारा प्रतिवादी जगदीश के विरूद्ध, प्रतिवादी के लगातार 40 वर्षो से जयपुर में रहवास करते चले आते रहने व प्रतिवादी द्वारा भूमि विवादग्रस्त पर कभी भी कृषि कार्य नही करने, उक्त भूमि पर एकमात्र रूप से वादी ही बतौर खातेदार काश्तकार कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आते रहने से तथा प्रतिवादी जो कि वादी का सगा बडा भाई है द्वारा पिता भोलूराम के जीवित अवस्था में ही सरकारी सेवा में चयन हो जाने व प्रतिवादी की पत्नी द्वारा गांव में नही रहने के कारण प्रतिवादी द्वारा पिता भोलूराम की जीवित अवस्था में ही भोलूराम के हक हिस्से की भूमि में स्वंय के निहित हक हिस्से की भूमि को वादी से नकद रूपये प्राप्त कर लिये जाने से व जयपुर में विद्यमान वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त रूप से खरीद की हुई सम्पत्तियों को प्राप्त कर ग्राम कंवरपुरा में स्थित विवादित भूमि से अपना सम्बन्ध, सरोकार त्याग कर दिये जाने उपरान्त भी, अपनी सेवानिवृति के पश्चात् अपने पुत्र गिरीश कुमार का पूलिस विभाग में चयन हो जाने से व पुत्र गिरीश कुमार द्वारा बरगलाये जाने से दिनांक 19.09.2021 को ग्राम कंवरपूरा आकर प्रतिवादी जगदीश का नाम मात्र राजस्व रिकार्ड में रहने से, वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दजी करने की धमकी दिये जाने एवं वादी को पुलिस से सांठ गांठ कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही बेदखल करने/करवाने की धमकी दिये जाने पर बैंक लोन प्राप्त कर उसे, नहीं चुकाने ओर उसमें भी असफल रहने पर उक्त भूमि को बिना कब्जे व बिना अधिकारिता के औने पोने दामों में भू–माफियाओं को बेचान करने की धमकी दिये जाने से अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। जो किसी भी क्रम में विधि विरूद्ध नहीं है। विधि अनुसार जहां किसी सह–खातेदार द्वारा मौके पर विधमान वास्तविक काबिज मालिक स्वामी के विवादित भूमि के कब्जे काश्त में उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी की जाती है या कृषि भूमि को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना अकृषि भूमि में परिवर्तित किया जाता है या विवादित भूमि को वेस्ट डेमेज अलाईनेन्ट करने की धमकी दी जाती है या उक्त भूमि में लगे हरे वृक्षों को काटने हटाने की खड्डे खोदने की धमकी दी जाती है तो काबिज मालिक स्वामी को रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषैधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतू दावा प्रस्तुत करने एवं कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु दावा प्रस्तुत करने का अधिकार निहित होता है। विवादित भूमि राजस्व कृषि भूमि है, जिस पर मौके पर काश्त भी हो रही है। विधि अनुसार कुषि भूमि की सूरक्षार्थ स्थाई निषैधाज्ञा के वाद [illegible] सुनने का वाद राजस्व न्यायालय में ही हो सकता है ना की दी[illegible] जवाब देही से बचने की कूचेष्टा से पेश किया गया है, प्रतिवादी [illegible] समस्त एतराज अपने जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दावे में अभिवचनों में ले सकता है, जिससे न्यायालय श्रीमान तनकीयात विरचित कर उभयपक्षो की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर विधि अनुसार निर्णय करने हेतु स्वतंत्र है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा के खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त RRT2018(1) Madanlal vs Homesh panwar ,Civil court cases 067(P&H) Jangir Kaur&Ors. Vs bhag Singh & Anr , RRT2016(1) Prem Vs Prem, Sagarmal Vs Gram Panchayat Khatundra, RRT 2003(1) Baldev singh Vs State of Rajasthan, RRT2003(1) Bhairu Vs State of Rajasthan, RRT2011(2) Pool Chand Vs Phool Chand पेश किये।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र व न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी भूमि के सहखातेदार काश्तकार है। शामलाती खातेदारी भूमि पर प्रत्येक इंच–इंच भाग पर प्रत्येक खातेदार काश्तकार को विधिसम्वत हक और अधिकार प्राप्त है। वादी के द्वारा विधिवत विभाजन करवाने हेतु विभाजन करवाने का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है जबकि वादी के द्वारा उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा का शामलाती खातेदारी भूमि में सहखातेदार के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से वाद पेश नहीं किया गया है। विभाजन के वाद के अभाव में एक सहखातेदार को व्यादेश से पाबन्द नहीं किया जा सकता है इस संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त Jugal kishor v/s kishan gopal other 2022 (2)DNJ(REV.)1454, Tamu(Smt)&ors v/s kalyan & ors2022(2)RRT 807 भी चस्पा होते है। ऐसे में प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद (Maintainable)पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद (Maintainable)पोषणीय नही होने के कारण खारिज जाता है।

आदेश आज दिनांक ..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फा0ट्रै0)चौमूं

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूँ, जयपुर

–: पीठासीन अधिकारीश्री रतन कोर (R.A.S.)

उनवान

1. गणपत पुत्र श्री भोलूराम यादव, जाति अहीर, उम्र 60 वर्ष करीब, निवासी वार्ड नम्बर 1, जादमों की ढाणी, ग्राम कवरपुरा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर ।

–वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र भोलूराम यादव, जाति अहीर उम्र 70 वर्ष करीब, निवासी सी–62, दधीची नगर, रोड नम्बर 5, वी0 के0 आई0 मुरलीपुरा, जयपुर, जिला जयपुर।
2. भगवती देवी पत्नी बालूराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम कंवरपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. उप–पंजीयक, खेजरोली, उप–तहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–23/13

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद (Maintainable)पोषणीय नही होने के कारण खारिज जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज तारीख 30.10.2023 को जारी किया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:43 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

दस्तखत .....

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	5
जोड़	3	जोड़	5

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner